फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना राजेपुर

दिनांक :- 30.10.2026

सर्विलांस/एसओजी टीम व थाना राजेपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को चोरी किये गये माल सहित 24 घण्टे के अंदर किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री यमुना प्रसाद** के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 201/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बंधित 01 नामजद अभियुक्त हनीफ पुत्र अली मोहम्मद निवासी ग्राम सोताबहादुरपुर थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के आधार पर अभियुक्त हनीफ उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।





गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. हनीफ पुत्र अली मोहम्मद निवासी ग्राम सोताबहादुरपुर थाना कादरी गेट \

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.10.2026 को वादी वासुदेव सिंह पुत्र श्री अशोक सिंह निवासी ग्राम अद्योली थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि शांति ढाबा जमापुर के पास में हनीफ धुलाई केंद्र पर अपनी काले रंग की KIA कार धुलाई के लिये दी थी धुलाई से पहले कार में रखा बैग बाहर निकाल लिया जिसमें से लैपटाप निकाल करके गूगल मीट अटेंड करने लगे और उस बैग को एक बाइक पर रख दिया। जब धुलाई हो गई तो वह अपने भाई के साथ मीटिंग अटेंड करते हुए ही वहां से चले गए। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तब उन्होंने वहां देखा तो बैग नहीं था तो उन्हें लगा कि वह बैग वहीं धुलाई केंद्र पर भूल गए तो तुरंत वह 30-40 मिनट में वापस आए किंतु बैग धुलाई केंद्र मालिक हनीफ द्वारा दे दिया गया उक्त बैग को चैक करने पर बैग में अंदर रखी ज्वेलरी एक सोने का गले का हार, दो अंगूठी, 01 जोड़ी पायल व अन्य सामान उसमें नही मिला जो कि चोरी हो गया। उक्त प्रार्थना पत्र के

आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0सं0 201/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम हनीफ पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी का विवरण:-

01. 01 सोने का गले का हार
02. सोने की 02 अंगूठी
03. 01 जोडी चाँदी की पायल
04. लेनेवो का 01 लेपटॉप चार्जर
05. 01 डायरी व पेन
06.01 चाबी एवं टाईटन की गोल्डेन जनाना घडी

अभियुक्त हनीफ का पूछताछ का विवरण- हनीफ पुत्र अली मोहम्मद नि0 ग्राम सोताबहादुरपुर थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ ने पूछने पर बताया कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ। साहब जब कार धुलाई करके वहाँ से चली गयी थी तो कार मालिक का बैग वही छूट गया था जिसको चुपचाप अंदर ले जाकर बैग खोल कर देखा जिसमें हमें कीमती सामान व सोने चांदी के आभूषण देखकर मेरी नीयत खराब हो गयी जो कि बैग सहित मैने चोरी कर लिया था। अन्य बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त हनीफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 201/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद।
02.मु0अ0सं0-259/24 धारा-115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम-

01. उ0नि0 दर्शन सिंह सोलंकी थानाध्यक्ष थाना राजेपुर।
02. उ0नि0 गौरव कुमार शुक्ल
03. एएसआई सत्येन्द्र कुमार
04. का0 शिवा चौधरी
05. हे0का0 शिवराज सिंह
06. का0 शंशाक पाण्डेय
07. का0 सोनू कुमार

गिरफ्तार/बरामद करने वाली सर्विलांस/एसओजी टीम-

01. उ0नि0 सन्त कुमार (प्रभारी) मय टीम।

मीडिया सेल फतेहगढ।